

**न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(161)2021/

दिनांक : 2 अक्टूबर 2021

निमित्त,  
तहसीलदार  
राशमी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2021

प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान-2021



विषय :- बाबत पत्थरगढ़ी।

1. कमला देवी पति गिरीश चंद्र लाल जाट नि. 0804/2011
2. मोहनी पति लखन लाल जाट नि. 0804/2011
3. ....
4. ....
5. ....

प्रार्थीगण

- |   |       |
|---|-------|
|   | बनाम  |
| 1. बालकृष्ण पिता भगनीराम जाट नि. रेवाड़ा 1180 राशमी | ..... |
| 2. देऊ पति भगनीराम जाट नि. रेवाड़ा 1180 राशमी       | ..... |
| 3. मायरी पति लखन जाट नि. बलकानपुरा 1180 राशमी       | ..... |
| 4. पारसीपुरी लखन लाल जाट नि. बलकानपुरा 1180 राशमी   | ..... |
| 5. जलपिता पारसुजा जाट नि. ....                      | ..... |
| 6. रमलाल पिता पारसुजा जाट नि. ....                  | ..... |
| 7. ब्रह्मलाल पिता पारसुजा जाट नि. ....              | ..... |

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 161.../2021

**--:: प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी ::--**

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपकी 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा रेवाड़ा पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 133 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों कि दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावे, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावे। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे तथा कमिश्नर फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।



  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी),  
राशमी